अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

- सं. 11—77 / 2018—यूनानी (पी.जी. रेगुलेशन).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित से, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2016 में संशोधन करने के लिए एतदुद्वारा निम्नलिखित और विनियम बनाती है, अर्थात्:—
 - 1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं प्रयोजन** (1) यह विनियम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।
 - (2) वे कार्यालय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
 - (3) ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जिन्हें शैक्षिक सत्र (2019–2020) के प्रांरभ से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
 - 2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2016 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 8 में, उप विनियम (1) में,—
 - (क) उपखंड (**V**) में, निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— ''बशर्ते कि:—
 - (क) सरकारी तथा गैर सरकारी मानित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय कोटा सौ प्रतिशत होगा।
 - (ख) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के रख रखाव हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।
 - (ग) सरकारी अथवा सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ए.—पी.जी.ई.टी.) की योग्यता सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानानुसार विकलांगता तल चिन्ह रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। विकलांगता तल

चिन्ह रखने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम अंक 45% होंगे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 40% होंगे।

व्याख्या:—इस खंड के उद्देश्य हेतु, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित "विनिर्दिष्ट विकलांगता" इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट है तथा भारतीय चिकित्सा पद्वित में पाट्यकम जारी रखने हेतु विनिर्दिष्ट विकलांगता रखने वाले अभ्यर्थी की पात्रता इन विनियमों के परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, तथा यदि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशिष्ट श्रेणी में विकलांगों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो वे सीटें सम्बंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में सिम्मिलत कर दी जाएंगी।"

- (ख) उपखंड (Vi) हेत्, निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(vi) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसायटी, माइनोरिटी इन्स्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन अथवा कम्पनी द्वारा स्थापित संस्थानों को सम्मिलित करते हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान समस्त यूनानी शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कोटे हेतु काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी सम्बंधित राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के सम्बंधित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सम्बंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, होगी।
- (ग) उपखंड (Vii) हेतु, निम्नलिखित उपखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--
 - (vii) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित समस्त यूनानी शिक्षण संसथानों तथा सरकारी तथा गैर सरकारी समस्त मानित विश्वविद्यालयों हेतु तथा अखिल भारतीय कोटा के अन्तर्गत सीटों हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।"
- 3. उक्त विनियमों में, विनियम, 20 के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

परिशिष्ट "क"

(देखें विनियम 8)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (य ग) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची के अनुसार :--

1. शारीरिक दिव्यांगता-

- क. गतिक विकलांगता (वात रोग अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की यातना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की अपने अथवा वस्तुओं की विशिष्ट गतिविधियों से जुड़े संचलन को कार्यान्वित करने की अक्षमता) निम्न को सम्मिलित करते हुए
 - (क) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" से तात्पर्य है व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है परंतु निम्नलिखित से ग्रसित है—
- (i) हाथ और पैरों में संवेदन की क्षति तथा संवेदन की क्षति तथा नेत्रों तथा पलकों में आंशिक पक्षाघात परंतु स्पष्ट विकृति न हो;
- (ii) स्पष्ट विकृति तथा आंशिक पक्षाघात परंतु उनके हाथों तथा पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे उन्हें सामान्य आर्थिक कार्यों में लगाने हेतु सक्षम बनाया जा सके;
- (iii) चरम शारीरिक विकृति एवं बढ़ी उम्र जो व्यक्ति को किसी लाभदायक व्यवसाय को करने से रोके, तथा अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग से मुक्त" का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;
- (ख) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से तात्पर्य है" गैर प्रगतिशील स्नायुविज्ञान विषयक परिस्थिति का समूह जो कि शारीरिक संचलन तथा मांसपेशीय समन्वय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट भागो की क्षति के कारण होता है, प्रायः जन्म के पूर्व, के दौरान अथवा तुरंत बाद होता है;
- (ग) "बौनापन" से तात्पर्य है एक चिकित्सीय अथवा अनुवांशिक स्थिति जिसमें एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा इससे कम हो;
- (घ) "मांसपेशीय डिस्ट्राफी" से तात्पर्य है अनुवांशिक मांसपेशीय रोग का समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा एक से अधिक डिस्ट्राफी वाले व्यक्यिों के जीन्स में त्रुटिपूर्ण एवं लुप्त रचना होती है जो कि स्वस्थ मांसपेशीय हेतु उनके के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से उन्हें रोकती है। इसके लक्षण है प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में कमियां, तथा मांसपेशीय सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना;
- (ड़) "तेजाब के प्रहार से पीड़ित" से तात्पर्य है तेजाब अथवा उसके समान संक्षारक पदार्थ फेंक कर किये गए आक्रामक हमले के कारण विकृत एक व्यक्ति।

ख. दृष्टि क्षति -

- (क) "नेत्रहीनता" से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति, सबसे अच्छे सुधार के पश्चात् निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो —
- (i) दृष्टि की पूर्णतः अनुपस्थिति; अथवा
- (ii) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।
- (iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के सामने हो।
- (ख) "निम्न दृष्टि" से तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो:--
 - (i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 6/18 से अनिधक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।
 - (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक कम के कोण के सामने हो।

ग. श्रवण क्षति-

- (क) "बहरा" एक व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 70डीबी से कम हो।
- (ख) "कम सुनाई देना" से तात्पर्य है जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 60डीबी से 70डीबी कम हो। घ. "वाक् एवं भाषा विकलांगता" से तात्पर्य है स्वरयंत्रछिद्रीकरण अथवा वाचाघात जो कि वाक् तथा भाषा को प्रभावित करने वाली जैविक अथवा तंत्रिका संबंधित स्थिति जिसके कारण स्थाई विकृत पैदा हो।
- 5. बौद्धिक विकलांगताएं, दोनों बौद्धिक कार्यप्रणाली की स्थिति जिसमें (तर्क, सीखने, समस्या समाधान करने) और अनुकूल व्यवहार जो प्रत्येक दिन की सीमाओं को शामिल करता है सामाजिक तथा प्रायोगिक कौशल, की चारित्रिक स्थिति व सीमाएं जिसमें शामिल हैं '—
 - (क) ''विशिष्ट ज्ञार्नाजन विकलांगता'' विजातीय परिस्थिति समूह जिसमें बोलने अथवा लिखने में अथवा भाषा प्रसंस्करण की कमी पायी जाती है जिससे भाषा की बोध गम्यता, बोलने, लिखने, वर्तनी अथवा गणतीय गणना तथा सिहत ऐसी परिस्थितियां जिसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, वाक् विकार (डिस्लेक्सिया), डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्रेक्सिया तथा विकासात्मक मूकरोग शामिल हैं;
 - (ख) "आत्म विमोह स्पैक्ट्रम विकृति" से तात्पर्य है विकासात्मक तंत्रिका शोथ परिस्थिति से है जो कि
 - जीवन के प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्रकट होती है तथा किसी व्यक्ति की संवाद, रिश्ते को समझने तथा अन्य संबंधित मामलों में तथा अक्सर असामान्य अथवा रूढ़िवादी रिवाजों अथवा व्यवहार से जुड़ा होता है।
- 6. मानसिक व्यवहार,— "मानसिक बीमारी" से तात्पर्य है विचार, मनोदशा, अवधारणा, उन्मुखीकरण अथवा स्मृति जो कि स्थूल रूप से निणर्य लेती है, व्यवहार, वास्तविकता पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूर्ण करने की क्षमता, किन्तु इसमें वह परिस्थितिक बाधा शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरोधित अथवा अधूरा विकास करती है, तथा जिसे विशेष रूप से बौद्धिक उप समानता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।
- 7. निम्न के कारण उत्पन्न विकलांगता :--
 - (क) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे कि-
 - (i) 'बहुल ऊतक दृढन' से तात्पर्य है शोथ, माइलिन तंत्रिका कोशिका जो कि अक्षतंतु के चारों ओर स्थित है मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड में की क्षति के कारण तंत्रिका तंत्र के रोग जिससे मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड की एक दूसरे से संवाद करने कि क्षमता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ते हैं;
 - (ii) "पार्किनसेनिज्म रोग" से तात्पर्य है मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, प्रभावशाली गतिशीलता, मध्यम वर्ग और बुर्जुग लोगों से जुडी मस्तिष्क की बुनियादी गंडिका का अधःपतन का रोग तथा तंत्रिका संचरण डोपामीन का विघटन।
 - (ख) रक्त विकृतियां –
 - (i) "हीमोफीलिया" से तात्पर्य है एक अंतर्निहित रोग जिससे पुरूष प्रभावित होते हैं किन्तु महिला द्वारा यह रोग अपने पुरूष बच्चों को प्रेषित की जाती है। जिसे सामान्य रक्त जमाव क्षमता की कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिससे नवजातों में भयंकर रक्त श्राव हो सकता है।
 - (ii) "थैलिसिमिया" से तात्पर्य हिमोग्लोबिन की मात्रा की अनुपस्थिति की वंशानुगत विकारों का एक समूह।

- (iii) "सिक्कल सैल रोग" से तात्पर्य है रक्त संबंधी विकृति जो कि संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण रक्तलाप्तता, विदारक घटनाएं तथा विभिन्न जटिलताओं की स्थिति है। यह हीमोग्लोबीन में पुर्नजीवित लाल रक्त कोशिकाओं के ऊतक कोशिकाओं के विनाश की कोशिका कला को संदर्भित करता है।
- 5. मूक बिघरता सिहत बहुल विकलांगताएं (ऊपर निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक) बिघरता, अंधता सिहत जो ऐसी परिस्थिति से तात्पर्य है जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण और दृष्टि क्षिति का संयोजन हो सकता है जिसमें गंभीर संचार, विकास और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं ।
- 6. अन्य कोई वर्गीकरण जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों।

परिशिष्ट – "ख"

(देखें विनियम 8)

यूनानी में स्नातकोत्तर शिक्षा में दाखिले के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अन्तर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

- 5. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खण्ड 3, उप—खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 15 जून, 2017 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
- 6. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—II, खण्ड 3, उप—खण्ड (ii) में संख्या का.आ. 76(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए "किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
- 7. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (विकलांगता तल चिन्ह) होनी चाहिए।
- 8. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

5. तालिका

क.	विकलांगता	विकलांगताओं	विनिर्दिष्ट	विकलांगता की रेंज			
सं.	की श्रेणी	का प्रकार	विकलांगता	(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	यूनानी में रनातकोत्तर पाठ्यकम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यकम के लिए पात्र नहीं	
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति* ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** ग. बौनापन घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी ड. तेजाब के प्रहार से पीड़ित च. अन्य *** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी, मामले के आधार पर, अनुमति प्राप्त होगी तथा उनकी कार्य करने की क्षमता का निर्धारण सहयोगी सयंत्र की सहायता से किया जाएगा, यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो देंखें कि क्या यह 80% के नीचे लाया गया है तथा क्या उन्हें संतोषजनक रूप से कोर्स करने तथा उसे पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित पर्याप्त गतिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है।	80% से अधिक विकलांगता	

		* -inform - one of the country of our or one of the country of the co					
			 * ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षित, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। 				
			**दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए।				
			*** यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यकम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।				
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता (अर्थात् श्रेणी '0(10%)', 'I (20%)' और	-		ाबर या इससे अधिक अर्थात् श्रेणी III और
			'II (30%')				
		ग. श्रवण क्षति @	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	ब. कम सुनाई विकलांगता			राबर या इससे कम
			(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षिति / दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप / मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए।				
			@ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए।				के अधीन आरक्षण दिया यता से 40% के तल
			इसके अलावा, व्यक्ति		आधक का व	क् विवक स्कार	T
		घ. वाक् एवं भाषा विकलांगताएं \$	आर्गनिक / तंत्रीय कारण	40% से क विकलांगता	ਸ 	_	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
		वाक् बुद्धिमता स्कोर से अधिक 40% तक वाच	यह प्रस्ताव दिया जाता है कि यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु कि बुद्धिमता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। (जो कि 40% से कम होगी)। इस कोर से अधिक वाले व्यक्ति यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे। ि% तक वाचाघात लिध्य वाले व्यक्ति यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते है परंतु कि अधिक वे न तो यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण त होगा।				
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया डिस्लोक्सया डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक		सलिए 40% ा की आवश्यक म 40% वं इससे विकलांगत रिमेडिएशन प्राप्त प्रौद्योगिकी	का कट ऑफ, त्ता है। वराबर या अधिक 1-परंतु चयन, त सहायता / उपकरणों/	गंभीर स्वरूप या पर्याप्त
			एल्फासिया) #		विशेषज्ञ पै	नल द्वारा किए	

_						
					गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	
			ख. आत्म—विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए) के अनुसार 40% - 60% विकलांगता, जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यकम के लिए उपयुक्त माना जाता है।	अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, <u>आरक्षण / कोटे</u> के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां	60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक / बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और / या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यकम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगताः 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उदेद्श्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुल ऊतक दृढ़न ii. पार्किनसेनिज्म	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया ii. थैलिसीमिया iii. सिक्कल सैल रोग	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं			

	लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है
	<u>क+ख (90-क)</u>
	90
	(जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और / या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।

टिप्पणी : शारीरिक विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत चयन के लिए, अभ्यर्थी को उनकी काउंसलिंग की निश्चित तिथि से पूर्व भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी एक विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

शमशाद बानो, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 157 / 19]

टिप्पणी : प्रधान नियमावली भारत का राजपत्र, भाग—III, खण्ड—4, में संख्या 11—77/2016—यूनानी (पी.जी. रेगुलेशन) दिनांक 7 नवम्बर, 2016 के द्वारा, प्रकाशित की गई थी तथा इसे अंतिम बार भारत का राजपत्र, भाग—III, खण्ड—4, में अधिसूचना संख्या 11—77/2018—यूनानी (पी.जी. रेगुलेशन), दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2019

- **F. No. 11-77/2018-Unani (P.G. Regulation).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016, namely: -
- **1. Short title, commencement and application.**—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Amendment Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall apply to students who shall be admitted for post-graduate course from the commencement of the academic session (2019-2020).
- 2. In the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as said regulations), in regulation 8, in sub-regulation (1),-
- (a) in clause (v), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that-

- (a) the all India quota for admission in the Government and Private Deemed Universities shall be hundred per cent.;
- (b) those Universities and Institutes which are already having more than fifteen per cent. all India quota seats shall continue to maintain that quota;
- (c) five per cent. of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government-aided Institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), based on the merit list of 'All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA-PGET). In respect of such candidates with benchmark disabilities the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward classes.

Explanation.-For the purposes of this clause, the "Specified Disability" contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) is specified in Appendix 'A' annexed to these regulations and the eligibility of candidates to pursue a course in Indian systems of medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in Appendix 'B' to these regulations, and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.";

- (b) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(vi) The designated authority for counseling of States and Union territories quota for admissions to post-graduate course in all Unani educational institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory Government, as the case may be.";
- (c) for clause (vii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(vii) The counseling for all admissions to post-graduate course for seats under the all India quota as well as for all Unani educational institutions established by the Central Government and all Deemed Universities both Government and private shall be conducted by the authority designated by the Central Government."
- 3. In the said regulations, after regulation 20, the following Appendixes shall be inserted, namely:-

"Appendix "A"

[See regulation 8]

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

- 1. Physical disability.—
- A. Loco motor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—
- (a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—
- (i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;
- (ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;
- (iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;
- (b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth:
- (c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;
- (d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.
- B. Visual impairment—
- (a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—
- (i) total absence of sight; or
- (ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
- (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.
- (b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—
- (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.
- C. Hearing impairment –
- (a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;
- (b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

- D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.
- 2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—
- (a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;
- (b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.
- 3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.
- 4. Disability caused due to—
- (a) chronic neurological conditions, such as—
- (i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;
- (ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.
- (b) Blood disorder—
- (i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;
- (ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.
- (iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.
- 5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.
- 6. Any other category as may be notified by the Central Government.

Appendix "B"

[See regulation 8]

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in Post Graduate course in Ayurveda

- 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017.
- 2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4thJanuary, 2018.
- 3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
- 4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH).

5, TABLE

S1.	Disability	Type of	Specified Disability	Disability Range			
No.	Category	Disabilities	Specified Disability	(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Eligible for Post Graduate course in Unani, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Post Graduate course in Unani, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Post Graduate course in Unani	
L	Physical Disability	A. Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	b. Cerebral Palsy** c. Dwarfism d. Muscular Dystrophy e. Acid attack victims f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc. * Attention should b well as involvement of ** Attention should and corresponding receives.	possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily. Dee paid to loss of sensations in fingers and hands, amputed eyes and corresponding recommendations be looked at be paid to impairment of vision, hearing, cognitive further examinations be looked at. Ct, with intact sensations, sufficient strength and range insidered eligible for Post Graduate course in Unani			
		B. Visual Impairment ^(*)	b. Low vision	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)'	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III	
		impairment [@]	a. Deaf b. Hard of hearing	& 'II (30%') Less than 40% Disability	-	and above) Equal to or more than 40% Disability	
			made eligible to reservation, subject less than the benchi magnifier etc. [®] Persons with hear Post Graduate cou condition that the ho of 40% with the aid	isual impairment / visual of pursue Post Graduate co to the condition that the vimark of 40% with advanceding disability of more than rse in Unani and may be earing disability is brought of assistive devices.	urse in Unani and m sual disability is brough d low vision aids such a 40% may be made eligite given reservation, so to a level of less than the	ay be given t to a level of s telescopes / able to pursue abject to the se benchmark	

2.	Intellectual disability	(SIA) score shall Graduate course Graduate course Persons with an	that for admission to a not exceed 3 (Which in Unani The individu in Unani. Aphasia Quotient (AQd that they will neither servation.	Post Graduate course will correspond to less als beyond this score to be eligible to pursue # currently there is not severity of SpLD, the more evidence is need.	in Unani the Speech I is than 40%) to be eligible for will not be eligible for gible to pursue Post G the Post Graduate court. Quantification scale a refore the cut-off of 40	ble to pursue the Post admission to the Post raduate course in raduate in Unani nor will vailable to assess the
			(Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#		Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			b. Autism spectrum disorders	of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed		than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing Post Graduate course in Unani course by an expert
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%

	Disorders		Disability	40-80% disability	More than 80%
Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	recommendations with namely, Visual, He Intellectual Disability Multiple Disability. Combining Formula Notification issued by where a higher value disability % as calculated is recommended for more than one disabilities, and recommended for disabilities, and recommended for the disabilities.	<u>a + b (90-a)</u> 90	canguage disability, as a component of the related Gazette disability arising when present in a given cases with multiple ng admission and/or

Note: For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counseling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India.".

SHAMSHAD BANO, Registrar-Cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./157/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* notification No. 11-77/2016-Unani (P.G. Regulation), dated the 7thNovember, 2016 and were last amended *vide* notification No. 11-77/2018-Unani (P.G. Regulation), dated the 7thDecember, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4.